डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Department of Divyangjan Empowerment
Government of Uttar Pradesh

प्रेषक,

वित्त अधिकारी
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

सेवा में,

1. कुलपति/अध्यक्ष
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

2. अपर मुख्य सचिव
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

3. अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

4. अपर मुख्य सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

5. निदेशक
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6. कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

7. वित्त अधिकारी
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः 303 /पत्रा.सं.–57/बै0वि0समिति/2020–21 लखनऊ दिनांक 17 जून, 2020

विषयः डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की वित्त समिति की 21वीं बैठक दिनांक 02.06.2020 के कार्यवृत्त प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की वित्त समिति की दिनांक 02.06.2020 को सम्पन्न 21वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(आबिद अली अंसारी)
वित्त अधिकारी

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

के वित्त समिति की

इक्कीसवीं बैठक दिनाँकः 02.06.2020 का कार्यवृत्त

समय –	अपराह्नः 03:00 बजे
स्थान –	पंचम तल स्थित सभागार डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की वित्त समिति की इक्कीसवीं बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक में मा0 सदस्य के रूप प्रभारी सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामनिर्देशिती प्रतिनिधि सदस्य द्वारा प्रतिभाग किए जाने का प्रावधान है, जिसके कम में वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–4 के पत्रांक–वि0ई–4–98/दस–2020 दिनांक 02 जून, 2020 के माध्यम से श्री आबिद अली अंसारी, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दिव्यांगजन निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को नामित किया गया है।

बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

एजेण्डा बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/21	दिनांक 04.12.2019 को सम्पन्न वित्त समिति की बीसवीं बैठक' के कार्यवृत्त की पुष्टि।
	निर्णयः–वित्त समिति द्वारा दिनांक 04.12.2019 को सम्पन्न हुई 20वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/21	दिनांक 04.12.2019 को सम्पन्न वित्त समिति की बीसवीं बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या।
	निर्णयः– वित्त समिति द्वारा उपरोक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।
3/21	वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक अनुमान पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक अनुमान का अवलोकन किया। सम्यक् विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा निर्णय लिए गए कि– क) वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक अनुमान पर अनुमोदन प्रदान किया गया। ख) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) द्वारा विश्वविद्यालय के मूल्यांकन हेतु निजी स्रोतों से प्राप्तियों के सापेक्ष किये जाने वाले व्ययों के अन्तर्गत पृथक रूप में एक मद खोलने एवं उक्त मद में धनराशि रू0 10.00 लाख का प्रावधान किए जाने का निर्णय लिया गया।

(आबिद अली अंसारी)
वित्त अधिकारी

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

(प्रो0 आर0 के0 पी0 सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

4/21	वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु पुनरीक्षित वेतन का अवशेष मद, गैर वेतन एवं निजी स्रोतों से प्राप्तियों के सापेक्ष किये जाने वाले व्ययों के अन्तर्गत तैयार किये गये पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान पर अनुमोदन के संबंध में।
	निर्णयः–वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु पुनरीक्षित वेतन का अवशेष मद में धनराशि रू0 600.00 लाख, गैर वेतन मद में धनराशि रू0 940.00 लाख एवं निजी स्रोतों से प्राप्तियों के सापेक्ष तैयार किये गये धनराशि रू0 854.00 लाख के पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
5/21	विश्वविद्यालय के समस्त लेखों का लेखांकन चार्टर्ड एकाउटेण्ट फर्म के माध्यम से कराने के संबंध में।
	निर्णयः– उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के लेखांकन संबंधी समस्त कार्यों को चार्टर्ड एकाउण्टेंट फर्म के माध्यम से वित्तीय नियमों के अधीन कराए जाने का निर्णय लिया गया।
6/21	वित्तीय वर्ष 2018–19 की आडिटेड बैलेंसशीट एवं उसकी आडिट रिपोर्ट पर अनुमोदन के संबंध में।
	निर्णयः– वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 की ऑडिटेड बैलेंसशीट एवं उसकी ऑडिट रिपोर्ट को अवलोकित करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।
7/21	शैक्षिक सत्र 2018–19 एवं 2019–20 में गठित निरीक्षण दल में नामित आन्तरिक सदस्यों के मानदेय भुगतान पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः–वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शैक्षिक सत्र 2018–19, 2019–20 तथा भविष्य में गठित निरीक्षण दल में नामित वाह्य एवं आंतरिक सदस्यों को धनराशि रू0 5000.00 (रू0 पांच हजार मात्र) एवं नियमानुसार यात्रा व्यय के भुगतान पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
8/21	विश्वविद्यालय के वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष 2015–16 के अवशेष मानदेय एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में।
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत् 04 वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्व में अपुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार मानदेय भुगतान किया जा चुका है। परन्तु 7वें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 के अवशेष मानदेय भुगतान किया जाना है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2017–18 में किए गये कार्य के सापेक्ष मानदेय का भुगतान किया जाना है। **निर्णयः**–वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष 2015–16 के अवशेष मानदेय भुगतान किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 में विश्वविद्यालय के 04 वाहन चालकों को आलोच्य अवधि के मानदेय दिए जाने हेतु उक्त अवधि की संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही वित्त समिति द्वारा मानदेय भुगतान किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।

(आबिद अली अंसारी)
वित्त अधिकारी

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

9/21	विश्वविद्यालय में अतिरिक्त एकेडमिक ब्लॉक की आवश्यकता के सम्बन्ध में।
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में 07 संकायों के अन्तर्गत 29 विभागों में विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। ये समस्त विभाग मात्र 02 एकेडमिक ब्लॉक में ही संचालित किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों की उत्तरोत्तर वृद्धि एवं शेष पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु एक अतिरिक्त भवन की आवश्यकता के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था–उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ द्वारा 01 शैक्षणिक भवन हेतु धनराशि रू0 9,022.22 लाख का आगणन दिनांक 21.10.2016 को उपलब्ध कराया गया है। **निर्णयः**– वित्त समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त प्रस्ताव पर वांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।
10/21	विश्वविद्यालय की रिक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवाल निर्माण के संबध में।
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय प्रयोगार्थ ग्राम–अलीनगर सुनहरा, परगना–बिजनौर तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ में विश्वविद्यालय की 5.768 हेक्टेअर भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का कार्य कराया जाना है। इसी क्रम में राजकीय कार्यदायी संस्था–कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, यूनिट–20, लखनऊ द्वारा बाउण्ड्रीवाल व गेट के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि रू0 445.74 लाख का आगणन दिनांक 20.07.2019 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। **निर्णयः**– वित्त समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त प्रस्ताव पर वांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।
11/21	विश्वविद्यालय में स्थापित गेस्ट हाउस के अनुरक्षण के संबंध में।
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि पुरूष छात्रावास स्थित गेस्ट हाउस में रंगरोगन का कार्य, विद्युत कार्य, कारपेन्टर से संबंधित कार्य, ए.सी. रिपेयरिंग का कार्य, सीलन का कार्य, इलेक्ट्रिक वॉयरिंग का कार्य, प्लम्बिंग का कार्य, आ.रो. की सर्विसिंग का कार्य, गेस्ट हाउस के प्रत्येक रूम में टी0वी0 स्थापित किये जाने का कार्य, गेस्ट हाउस में एक नवीन गैस कनेक्शन, इन्वर्टर की आवश्यकता, डायनिंग हाल में एक वेंटिलेशन हेतु एक एग्जास्ट फैन, गेस्ट हाउस के प्रांगण में पौधों सहित गमलों की आवश्यकता एवं टाइप–5 में स्थापित गेस्ट हाउस में रंगरोगन का कार्य, गेस्ट हाउस में विद्युत कार्य, गेस्ट हाउस में कारपेन्टर से संबंधित कार्य, बाथरूम में रिपेयरिंग कार्य, गीजर सर्विसिंग आदि का कार्य कराया जाना है। वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के पुरूष छात्रावास में स्थित गेस्ट हाउस के अनुरक्षण कार्य हेतु लगभग 7.50 लाख एवं टाइप–5 स्थित 4 गेस्ट हाउस प्रति गेस्ट हाउस लगभग धनराशि रू0 2.5 लाख अर्थात अनुरक्षण कार्य हेतु कुल लगभग 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है। पुरूष छात्रावास एवं टाइप–5 में स्थापित गेस्ट हाउस के अनुरक्षण कार्य हेतु लगभग धनराशि रू0 17.50 लाख का व्यय होना संभावित है। **निर्णयः**–वित्त समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त प्रस्ताव पर वांछित अनुमोदन प्रदान करते हुए नियमानुसार जेम/ई–टेण्डरिंग द्वारा कार्य कराए जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी।
12/21	विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर ललित कला विभाग में आये कलाकारों के मानदेय भुगतान किये जाने के संबंध में।
	निर्णयः– वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव को अवलोकित करते हुए अनुमोदन प्रदान किया

(आबिद अली अंसारी)
वित्त अधिकारी

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

	गया।
13/21	विश्वविद्यालय में समस्त संकायान्तर्गत संचालित विभिन्न विभागों में विभागीय स्तर पर वर्कशाप/सेमिनार/विशेष व्याख्यान एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के आयोजन हेतु।
	निर्णयः— वित्त समिति उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय प्रदान किए गएः— क) गेस्ट हाउस प्रभारी/व्यवस्थाधिकारी को एक बार में धनराशि रू0 25000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र) अग्रिम के रूप में दिए जाने के निर्देश प्रदान किए गए जिसके समायोजन के पश्चात् पुनः अग्रिम प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। ख) गेस्ट हाउस प्रभारी/व्यवस्थाधिकारी को उपलब्ध करायी गयी अग्रिम धनराशि से ही विभागीय स्तर पर वर्कशाप/सेमिनार/विशेष व्याख्यान एवं प्रायोगिक परीक्षाओं इत्यादि के आयोजन में आने वाले अतिथिगण हेतु नियमानुसार सूक्ष्म जलपान/भोजन की व्यवस्था की जाएगी।
14/21	सेमेस्टर/बैक पेपर परीक्षा हेतु अग्रिम धनराशि रू0 4.00 लाख मात्र उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
	निर्णयः— उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में सेमेस्टर/बैक पेपर परीक्षा हेतु धनराशि रू0 01.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराये जाने पर वित्त समिति अनुमोदन प्रदान किया गया।
15/21	परीक्षा विभाग के लिये आकस्मिक व्यय निधि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः—वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिए गए— क) परीक्षा विभाग के आकस्मिक व्यय के लिए धनराशि रू0 4000.00 (रू0 चार हजार मात्र) प्रतिमाह हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। ख) चर्चा के दौरान वित्त समिति के संज्ञान में आया कि विश्वविद्यालय में तैनात उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव के कार्यालय में आने वाले अतिथिगण हेतु सूक्ष्म जलपान के लिए कमशः रू0 4000/— एवं रू0 2000/— मात्र स्वीकृत किया गया है। उक्त अनुक्रम में वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण के संबंध में अन्य विश्वविद्यालय में प्रचलित व्यवस्था संज्ञान लिया जाए। यदि यह व्यवस्था अन्य विश्वविद्यालय में नहीं है तो इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए।
16/21	उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सापेक्ष चुनौती मूल्यांकन कराये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः—वित्त समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
17/21	परीक्षा संबंधी कार्यो हेतु पारिश्रमिक/मानदेय निर्धारण के संबंध में।
	निर्णयः—वित्त समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय प्रदान किया गयाः— क) वित्त समिति द्वारा पैरा कमांक 01 में प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों का पारिश्रमिक (कक्ष

4

(आबिद अली अंसारी)
वित्त अधिकारी

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

निरीक्षक/सहायक केन्द्राध्यक्ष/केन्द्राध्यक्ष/दृष्टिबाधित/दिव्यांग विद्यार्थियों के कक्ष निरीक्षण कार्य हेतु) निर्धारण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

ख) वित्त समिति को पैरा क्रमांक 02 के क्रम में अवगत कराया गया कि शासनादेश में परीक्षा संबंधी दिये गये दायित्वों के निर्वहन के लिये पर्यवेक्षक, कुलानुशासक मण्डल के सदस्य, परीक्षा संबंधी कार्यो यथा–सीटिंग प्लान, कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी प्लानर, केन्द्राध्यक्ष को प्रश्न–पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोगार्थ नामित शिक्षकवृन्द का पारिश्रमिक निर्धारण नहीं है।

वित्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त उक्त प्रकरण के सन्दर्भ में पारिश्रमिक निर्धारण हेतु डॉ0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्रचलित व्यवस्था/शासनादेश के अनुरूप ही पारिश्रमिक निर्धारण हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

ग) वित्त समिति द्वारा पैरा क्रमांक 03, 04, 05, 06 के अवलोकनोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव के सन्दर्भ में डॉ0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्रचलित व्यवस्था/शासनादेश के अनुरूप ही पारिश्रमिक निर्धारण हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

घ) पैरा क्रमांक 07 पर सार्वजनिक अवकाश के दिन आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु उपरोक्त प्रस्तावित पारिश्रमिक/मानदेय के निर्धारण के अनुसार उसको दोगुना करते हुए दिये जाने के प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त करते हुए उक्त प्रस्ताव को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

ड) पैरा क्रमांक 08 पर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं/महाविद्यालयों में परीक्षा संबंधी कार्यो के सापेक्ष निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र–व्यय (सेण्ट्रल चार्जेज़) के रूप में रू0 15/–मात्र प्रति परीक्षार्थी के दर से अनुमन्य करते हुए संस्तुति प्रदान की गयी ।

च) पैरा क्रमांक–09 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निरस्त किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।

18/21 सामाजिक/विधिक जागरूकता एवं सहायता कार्यक्रम के आयोजनार्थ व्यय धनराशि निर्धारित किए जाने के संबंध में।

निर्णयः–वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय प्रदान किए गएः

क) वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के किसी विभाग द्वारा सामाजिक/विधिक जागरूकता एवं सहायता कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार यथा–बैनर, पोस्टर इत्यादि के लिए धनराशि रू0 1000.00 (धनराशि रू0 एक हजार मात्र) निर्धारित की गयी।

ख) वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के विभाग द्वारा सामाजिक/विधिक जागरूकता एवं सहायता कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों/शिक्षकों/विशेषज्ञों के सूक्ष्म जलपान हेतु धनराशि रू0 25.00 (रू0 पच्चीस मात्र) प्रति विद्यार्थी/शिक्षक निर्धारित की गयी।

(आबिद अली अंसारी)
वित्त अधिकारी

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(प्रो0 आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

19/21	लॉक डाउन के दौरान अतिथि व्याख्याताओं को निर्धारित दर पर भुगतान किए जाने के सम्बंध में।
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम बी–टेक के अन्तर्गत अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय धनराशि रू0 450/–प्रति व्याख्यान तथा यात्रा व्यय के रूप में धनराशि रू0 200/प्रति कार्य दिवस की दर से निर्धारित है। इसी प्रकार विभिन्न संकायों/विभागों में सूचीबद्ध अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय धनराशि रू0 400/–प्रति व्याख्यान तथा यात्रा व्यय के रूप में धनराशि रू0 200/प्रति कार्य दिवस की दर से निर्धारित है। इसी क्रम में वित्त समिति को अवगत कराया गया कि कोविड–19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर 14 अप्रैल, 2020 तक के लिये लॉक डाउन घोषित किया गया, तत्क्रम में विश्वविद्यालय विगत 18 मार्च, 2020 से निरन्तर बन्द चल रहा है। समाज के किसी भी वर्ग को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, उक्त हेतु मा० मुख्यमंत्री एवं मा० प्रधानमंत्री जी द्वारा विभिन्न आर्थिक सहयोग पैकेज को जारी करने के साथ–साथ संविदा एवं आउट सोर्सिंग कर्मियों को बिना कार्य के वेतन/मानदेय/मजदूरी दिये जाने का निर्णय किया गया है। तत्क्रम में विश्वविद्यालय के प्रति लेक्चर की दर पर सूचीबद्ध अतिथि व्याख्याताओं को माह मार्च, 2020 में रू0 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) की दर से मानदेय भुगतान किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया था कि उक्त प्रस्ताव को आगामी वित्त समिति एवं कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। वित्त समिति में उक्त बिन्दु पर चर्चा के दौरान प्रो0 वी0के0 सिंह, अधिष्ठाता, विशेष शिक्षा एवं प्रो0 आर0के0 श्रीवास्तव, अधिष्ठाता, कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी/अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय उपस्थित थे। चर्चा के दौरान प्रो0 आर0 के0 श्रीवास्तव द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संबंधित संकाय के विभाग में तैनात गेस्ट फैकल्टी/संविदा शिक्षकों द्वारा माह मई, 2020 तक ऑन–लाइन कक्षाओं के माध्यम से लगभग 80 से 90 प्रतिशत कोर्स पूर्ण कराया गया है। अधिष्ठाता विशेष शिक्षा प्रो0 वी0के0 सिंह द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया कि बी0पी0ओ0/बी0ए0एस0एल0पी0 पाठ्यक्रम में अध्यापनरत् संविदा/गेस्ट फैकल्टी द्वारा ऑन–लाइन कक्षाओं के माध्यम से माह मई, 2020 तक अध्यापन कार्य किया गया। अतः इन संविदा/गेस्ट अतिथि व्याख्याताओं को माह अप्रैल, 2020 व मई, 2020 में मानदेय के रूप में एक सम्मानजनक धनराशि का भुगतान किया जाना चाहिए। निर्णयः–वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर कोविड–19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 व मुख्य सचिव, उ0प्र0 के निर्देशों व मानवीय दृष्टिकोण से प्रकरण पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि माह अप्रैल, 2020 एवं माह मई, 2020 हेतु स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम बी0टेक0 के सूचीबद्ध अतिथि व्याख्याता को क्रमशः मानदेय धनराशि रू0 24000.00 तथा धनराशि रू0 15,000.00 प्रदान किया जाए। विश्वविद्यालय में संचालित बी0पी0ओ0/बी0ए0एस0एल0पी0 पाठ्यक्रम सहित अन्य पाठ्यक्रमों में सूचीबद्ध अतिथि व्याख्याता को माह अप्रैल, 2020 तथा मई, 2020 हेतु क्रमशः मानदेय धनराशि रू0 18,000.00 एवं 12,000.00 प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।
20/21	लॉक डाउन के दौरान नियत मानदेय पर सूचीबद्ध/संविदा पर नियुक्त कार्मिकों/शिक्षकों/अन्य टेक्निकल स्टॉफ को मानदेय भुगतान किए जाने के संबंध में।

(आबिद अली अंसारी)
वित्त अधिकारी

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि कोविड–19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर 14 अप्रैल, 2020 तक के लिये लॉक डाउन घोषित किया गया, तत्क्रम में विश्वविद्यालय विगत 18 मार्च, 2020 से निरन्तर बन्द चल रहा है। समाज के किसी भी वर्ग को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, उक्त हेतु मा० मुख्यमंत्री एवं मा० प्रधानमंत्री जी द्वारा विभिन्न आर्थिक सहयोग पैकेज को जारी करने के साथ–साथ संविदा एवं आउट सोर्सिंग कर्मियों को बिना कार्य के वेतन/मानदेय/मजदूरी दिये जाने का निर्णय किया गया है। **निर्णयः**– वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
21/21	कोविड 19 के सहयोगार्थ मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष में सहायता राशि रू0 25.00 लाख मात्र जमा किये जाने पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।
	निर्णयः–वित्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।
22/21	विश्वविद्यालय की सुरक्षा एवं अनुशासन बनाये रखने हेतु सम्पूर्ण परिसर को सी0सी0टी0वी0 कैमरों एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों की स्थापना के संबंध में।
	निर्णयः–वित्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान करते हुए यह निर्देश प्रदान किए गए सी0सी0टी0वी0 कैमरों एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों का क्रय नियमानुसार जेम अथवा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ही किया जाए।
23/21	विश्वविद्यालय की केन्द्रीय पुस्तकालय में सुरक्षा एवं अनुशासन बनाये जाने हेतु चिन्हित स्थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरों एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों की स्थापना के संबंध में।
	निर्णयः–वित्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान करते हुए यह निर्देश प्रदान किए गए सी0सी0टी0वी0 कैमरों का क्रय नियमानुसार जेम अथवा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ही किया जाए।
24/21	विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) हेतु पृथक से कार्यालय संचालन हेतु प्रयोगार्थ फर्नीचर एवं अन्य सहायक उपकरणों की स्थापना के सम्बन्ध में।
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि मा0 कुलाध्यक्ष महोदया द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि समस्त विश्वविद्यालय का नैक द्वारा मूल्यांकित कराया जाये। नैक द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार इस कार्य को सम्पादित किये जाने हेतु पृथक से कार्यालय संचालित किया जाना है। **निर्णयः**–वित्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश/निर्णय प्रदान किए गए– क) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) द्वारा विश्वविद्यालय के मूल्यांकन हेतु निजी स्रोतों से प्राप्तियों के सापेक्ष किये जाने वाले व्ययों के अन्तर्गत पृथक रूप में एक मद खोलने एवं उक्त मद में धनराशि रू0 10.00 लाख का प्रावधान किए जाने का निर्णय लिया गया। ख) नैक द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार कार्य सम्पादन हेतु पृथक कार्यालय स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यथासंभव विश्वविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों/सामग्रियों से ही उक्त कार्यालय स्थापना हेतु सामग्रियों की पूर्ति किया जाए।

7

(आबिद अली अंसारी)
वित्त अधिकारी

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

25/21	विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के शुल्क से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः—वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उपर्युक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा निम्नलिखित निर्देश/निर्णय प्रदान किए गए— क) विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के शुल्क की ऑनलाईन सुविधा प्रदान किये जाने हेतु शुल्क पोर्टल/साफ्टवेयर निर्मित किए जाने हेतु वित्त समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी। ख) वित्त समिति द्वारा यह परामर्श प्रदान किए गए कि शुल्क पोर्टल/साफ्टवेयर निर्मित किए जाने हेतु वित्तीय नियमों के अधीन मेसर्स उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ के अलावा यू0पी0 इलैक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लि0 अथवा श्रीट्रान से भी प्रस्ताव प्राप्त कर वित्तीय आंकलन कर लिया जाए।
26/21	विश्वविद्यालय में सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए कम्प्यूटर ऑपरेटरों एवं अन्य कार्मिकों को माह मार्च, 2020 एवं माह अप्रैल, 2020 के मानदेय भुगतान के संबंध में।
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि कोविड–19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर 14 अप्रैल, 2020 तक के लिये लॉक डाउन घोषित किया गया, तत्क्रम में विश्वविद्यालय विगत 18 मार्च, 2020 से निरन्तर बन्द चल रहा है। समाज के किसी भी वर्ग को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, उक्त हेतु मा० मुख्यमंत्री एवं मा० प्रधानमंत्री जी द्वारा विभिन्न आर्थिक सहयोग पैकेज को जारी करने के साथ–साथ संविदा एवं आउट सोर्सिंग कर्मियों को बिना कार्य के वेतन/मानदेय/मजदूरी दिये जाने का निर्णय किया गया है। **निर्णयः**— वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
27/21	विश्वविद्यालय में बी–टेक विभाग में सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को मार्च, 2020 एवं माह अप्रैल, 2020 में मानदेय भुगतान संबंध में।
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि कोविड–19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर 14 अप्रैल, 2020 तक के लिये लॉक डाउन घोषित किया गया। तत्क्रम में विश्वविद्यालय विगत 18 मार्च, 2020 से निरन्तर बन्द चल रहा है। समाज के किसी भी वर्ग को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, उक्त हेतु मा० मुख्यमंत्री एवं मा० प्रधानमंत्री जी द्वारा विभिन्न आर्थिक सहयोग पैकेज को जारी करने के साथ–साथ संविदा एवं आउट सोर्सिंग कर्मियों को बिना कार्य के वेतन/मानदेय/मजदूरी दिये जाने का निर्णय प्रदान किया गया है। **निर्णयः**— वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
28/21	विश्वविद्यालय में सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए कुशल एवं अकुशल श्रेणी के 68 कार्मिकों को माह मार्च, 2020 एवं माह अप्रैल, 2020 के मानदेय भुगतान के संबंध में।
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि कोविड–19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियो के दृष्टिगत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर 14 अप्रैल, 2020 तक के लिये लॉक डाउन घोषित किया गया है, तत्क्रम में विश्वविद्यालय विगत 18 मार्च, 2020 से निरन्तर बन्द चल रहा है। समाज के किसी भी वर्ग को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, उक्त हेतु मा० मुख्यमंत्री एवं मा०

(आबिद अली अंसारी)
वित्त अधिकारी

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

	प्रधानमंत्री जी द्वारा विभिन्न आर्थिक सहयोग पैकेज को जारी करने के साथ–साथ संविदा एवं आउट सोर्सिंग कर्मियों को बिना कार्य के वेतन/मानदेय/मजदूरी दिये जाने का निर्णय प्रदान किया गया है। निर्णयः– वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
29/21	विश्वविद्यालय में सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए अवर अभियन्ता को माह मार्च एवं अप्रैल, 2020 के मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में।
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि कोविड–19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर 14 अप्रैल, 2020 तक के लिये लॉक डाउन घोषित किया गया है, तत्क्रम में विश्वविद्यालय विगत 18 मार्च, 2020 से निरन्तर बन्द चल रहा है। समाज के किसी भी वर्ग को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, उक्त हेतु मा० मुख्यमंत्री एवं मा० प्रधानमंत्री जी द्वारा विभिन्न आर्थिक सहयोग पैकेज को जारी करने के साथ–साथ संविदा एवं आउट सोर्सिंग कर्मियों को बिना कार्य के वेतन/मानदेय/मजदूरी दिये जाने का निर्णय प्रदान किया गया है। निर्णयः–वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
30/21	विश्वविद्यालय के शैक्षिक संवर्ग के सृजित पदों में से रिक्त पदों पर आनलॉइन आवेदन किये जाने हेतु ऑनलाइन साफ्टवेयर तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में विभिन्न विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर सहित विशेष शिक्षक के पद रिक्त है, जिन्हें भरे जाने की कार्यवाही ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से किये जाने हेतु साफ्टवेयर तैयार किया जाना आवश्यक है। निर्णयः–वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उपर्युक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा निम्नलिखित निर्देश/निर्णय प्रदान किए गए:– क) विश्वविद्यालय में वर्तमान में विभिन्न विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर सहित विशेष शिक्षक के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर निर्मित किए जाने पर वित्त समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहममति प्रदान की गयी। ख) वित्त समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि उक्त साफ्टवेयर निर्मित किए जाने हेतु वित्तीय नियमों के अधीन मेसर्स उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ के अलावा यू0पी0 इलैक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लि0 एवं श्रीटान से भी प्रस्ताव प्राप्त कर वित्तीय आंकलन कर लिया जाए।
31/21	विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में संचालित व्यवसायिक एवं गैर–व्यवसायिक पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में संचालित व्यवसायिक एवं गैर–व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजन एवं सामान्य विद्यार्थियों के लिए पृथक–पृथक शुल्क निर्धारित किया गया है। शुल्क निर्धारण के संबंध में गठित 05 सदस्यीय समिति द्वारा कतिपय पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश की स्थिति के साथ–साथ विभिन्न पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए शुल्क संरचना में संशोधन तथा दिव्यांग

(आबिद अली अंसारी)
वित्त अधिकारी

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

	विद्यार्थियों को अध्ययन शुल्क से मुक्त किये जाने आदि पर विचार करते हुए समिति द्वारा अपनी संस्तुति दी गयी है। वित्त समिति को यह भी अवगत कराया गया कि मा0 सामान्य परिषद की षष्ठम् बैठक दिनांक 20.08.2019 में "मा0 सामान्य परिषद द्वारा उ0 प्र0 के बाहर के दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास एवं भोजन की सुविधा अनुमन्य कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। तदानुसार स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम–इंजीनियरिंग तथा बी0बी0ए0 के अन्तर्गत अध्ययनरत् दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन, छात्रावास एवं शिक्षा की सुविधा अनुमन्य कराये जाने हेतु निर्णय किया गया"। निर्णयः– उपर्युक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की गयी।
32/21	वाणिज्य विभाग हेतु 60 कम्प्यूटर सिस्टम व टैली साफ्टवेयर के संबंध में।
	निर्णयः– वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत न होने के कारण वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्थगित किया गया।
33/21	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु** **1. उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के संबंध में।** वित्त समिति को अवगत कराया गया कि परीक्षा समिति की सप्तम बैठक दिनांक 13.05.2020 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–6/7 पर उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन कराये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि "विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर सांइस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संकायाध्यक्ष तथा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन कराये जाने पर सहमति प्रदान की गयी। शेष पाठ्यक्रमों में डिजिटल मूल्यांकन भविष्य में अपनाये जाने की योजना के दृष्टिगत शिक्षकवृन्द को प्रशिक्षित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। परीक्षा समिति द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन की पद्धति को आधारभूत संरचनाओं एवं तकनीकी विशेषताओं के आधार पर परिस्थितियों के दृष्टिगत वर्तमान सत्र में तथा भविष्य में अपनाए जाने हेतु निर्णय लिया गया।" वित्त समिति को अवगत कराया गया कि डिजिटल मूल्यांकन हेतु 30 अदद कम्प्यूटर सिस्टम/यू0पी0एस0, 05 अदद प्रिंटर, 05 अदद स्कैनर, 02 अदद फोटोकॉपियर इंटरनेट की सुविधा तथा लैन कनेक्टिविटी उपकरण (आवश्यकतानुसार) एवं आवश्यकतानुसार फर्नीचर क्रय किया जाना प्रस्तावित है। निर्णयः वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए विस्तृत प्रस्ताव आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किए गए।

अन्त में वित्त समिति की बैठक का समापन सधन्यवाद किया गया।

(आबिद अली अंसारी)
वित्त अधिकारी

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो0 आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय